उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-2394/पांच-8-2016-डी(17)/2016

लखनऊ: दिनांक 06 अगस्त, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 दन्त सर्जन सेवा संवर्ग के अन्तर्गत दन्त शल्यक के पद पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2016 में सामान्य पदों पर चयन के फलस्वरूप पत्र संख्या-15/30/सेवा-8/2010-11, दिनांक 12-07-2016 में 28 दन्त शल्यकों की नियुक्ति की संस्तुति के क्रम में उ0प्र0 दन्त सर्जन सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में दन्त शल्यक के पद पर संलग्न सूची के अनुसार कुल 26 दन्त शल्यकों को मौलिक एवं अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सम्बन्धित दन्त शल्यकों को उ0प्र0 दन्त सर्जन सेवा नियमावली, 1979 यथासंशोधित 1998 के नियम 18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2- उक्त अभ्यर्थियों को संलग्न सूची में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-7 में दर्शायें गये स्थान पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

3- सम्बन्धित दन्त शल्यक का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु दन्त शल्यक अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से शर्त क्रमांक-6 में निर्धारित अवधि में सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होगे।

4- सम्बन्धित दन्त शल्यक निर्धारित शपथ पत्र के प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त का सत्यापन स्वयं करेगा। उसमें यदि कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें शासन स्तर से तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

क्रमश:

manglam UO

5- सम्बन्धित दन्त शल्यक को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर(एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

6- सम्बन्धित दन्त शल्यक **दिनांक 05-09-2016** तक अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय/अन्य चिकित्सालय के समक्ष उपस्थित होगें तथा शर्त क्रमांक-8 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे उक्त निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

7- नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु दन्त शल्यकों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

8- दन्त शल्यक को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्नक प्रारूप में)

(2) अभियोजन न चलाये जाने, न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा चरित्र प्राग्वृत्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आने पर सेवायें समाप्त करने के सम्बन्ध में शपथ पत्र (संलग्न प्रारूप पर)

(3) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(4) ओथ एलीजियन्श का प्रमाण पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

(6) चल अचल सम्पति का प्रमाण पत्र।

(7) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।

क्रमशः

(8) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

2- प्रान्तीय दन्त सर्जन सेवा संवर्ग में उक्त दन्त शल्यकों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

संलग्नक-तैनाती सूची एवं शपथ पत्र का प्रारूप।

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव।

संख्या-2394(1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र पत्र संख्या-15/30/सेवा-8/2010-11, दिनांक 12-07-2016 के सन्दर्भ में।

3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्ति आदेश को सर्व सम्बन्धितों को अपने स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियुक्ति में कोई भी परिवर्तन शासन स्तर से ही किया जायेगा।

4- निदेशक(दन्त),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त दन्त शल्यकों के नियुक्ति आदेश उनके स्थायी पते पर भेजा जाना सुनिश्चित करें।

5- सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्त किये गये दन्त शल्यकों के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था करायें तथा दन्त शल्यकों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये गये दन्त शल्यक के मामले में स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।

6- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।

क्रमशः

7- सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को इस निर्देश के साथ कि वे नियुक्त दन्त शल्यकों को मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने पर निर्धारित तिथि तक उनके प्रस्तर-8(1) में उल्लिखित अभिलेखों को प्राप्त कर योगदान आख्या शासन को विलम्बतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

8- सम्बन्धित दन्त शल्यक।

9- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उ0प्र0।

10- प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

manglam UO

कार्यालय ज्ञाप संख्या-2394/पांच-8-2016-डी(17)/2016: दिनांक 06 अगस्त, 2016 का संलग्नक-

क्र0 सं0	आयोग का मेरिट क्रमांक	अनुक्रमांक	नाम/पता	श्रेणी	गृह जनपद	प्रस्तावित तैनाती
1	2	3	4	5	6	7
1	1	43/50410087427	डा0 इंगिता चटर्जी/प्रिया हाउसिंग नेमतपुर पोस्ट, सितरामपुर जनपद वर्धवान पश्चिम बंगाल	सामान्य	पश्चिम बंगाल	जिला चिकित्सालय, झांसी
2	3	198/50450148283	डा0 योगेन्द्र श्रीकृष्ण/एन-10/82,ए-11 न्यू कालोनी, ककरमत्ता, डी0एल0डब्लू वाराणसी	सामान्य	चन्दौली	सामु0 स्वा0 केन्द्र, मडियाहू जौनपुर
3	4	121/50420067079	डा0 सीमा मल्होत्रा/डी 162, साउथ सिटी रायबरेली रोड, लखनऊ	सामान्य	लखनऊ	संयुक्त चिकित्सालय, अतरौलिया आजमगढ
4	5	337/50420086728	डा0 नागेश्वर त्रिपाठी/ 70/53 सूर्य विहार, राम बहादुर, रामचरनदास रोड बलरामपुर हाउस ममफोर्ड गंज इलाहाबाद	सामान्य	इलाहाबाद	सामु0 स्वा0 केन्द्र, लक्ष्मणपुर गजराही प्रतापगढ
5	6	252/50450168348	डा0 अनिल यादव/124/7/1, जवाहरनगर, काजीपुर रोड नैनी इलाहाबाद	सामान्य	इलाहाबाद	जिला चिकित्सालय, बॉदा
6	7	309/50420131648	डा0 दमनजीत कौर/मकान नं-एस0ए0'6/171,ए0के0 श्रीनागल कालोनी, फेज-3 एकता तिराहा पहाडिया वाराणसी	सामान्य	वाराणसी	जिला चिकित्सालय, सोनभद्र
7	8	53/504200	डा0 आशीष कुमार	सामान्य	लखनऊ	सामु0 स्वा0 केन्द्र,

		07359	तिवारी/सी-39 सेक्टर-6 इंदिरानगर, लखनऊ			हरपालपुर हरदोई
8	9	312/50450089449	डा0 धर्मवीर यादव/26/6 वृन्दावन कालोनी रायबरेली रोड लखनऊ	सामान्य	गाजीपुर	जिला संयुक्त चिकित्सालय, महराजगंज
9	10	83/50420095735	डा0 पूजा कपूर/एच0आई0जी-54 सेक्टर-11/सी, आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा, आगरा	सामान्य	आगरा	संयुक्त चिकित्सालय, शिकोहाबाद फिरोजाबाद
10	11	313/50450122221	डा0 नदीम जावेद/बेनी माधवकुंज आपर्टमेन्ट, 145/56, जे0एल0एन0 रोड, टैगोर टाउन इलाहाबाद	सामान्य	इलाहाबाद	सामु0 स्वा0 केन्द्र, लमुहा सुल्तानपुर
11	12	87/50450076621	डा0 पूजा कुशवाहा/1/1160 सिंहवीर रामनगर वाराणसी	सामान्य	वाराणसी	सामु0 स्वा0 केन्द्र, रामनगर पुरवा इलाहाबाद।
12	13	194/50450003476	डा0 सपना सिंह/22ए हिन्दनगर कानपुर रोड लखनऊ	सामान्य	लखनऊ	सामु0 स्वा0 केन्द्र, हैसर बाजार संत कबीरनगर
13	14	144/50420054127	डा0 सुवर्णा सिंह/10ए माडल टाउन(पूर्वी) नौरंग सिनेमा के पीछे, जीटी रोड गाजियाबाद	सामान्य	गाजियाबाद	महिला चिकित्सालय, नजीबाबाद बिजनौर
14	16	175/504200016516	डा0 संजीवनी शर्मा/75ए, बलरामपुर हाउस, इलाहाबाद	सामान्य	इलाहाबाद	सामु0 स्वा0 केन्द्र, बिल्हौर कानपुर नगर।
15	17	225/50450123099	डा0 अनवर अहमद/ग्राम चिलबिला, पोस्ट माधवगंज प्रतापगढ	सामान्य	प्रतापगढ	सामु0 स्वा0 केन्द्र, पनवाडी महोबा।
16	18	186/50430034609	डा0 अर्चना दोहरे/मकान नं0-449,मु0तोपखाना, जालौन	सामान्य	जालौन	सामु0 स्वा0 केन्द्र, नरैनी बॉदा।

Devedi p इन्टन (नियुक्ति 2016) UO S maurya

17	19	323/504501 32732	डा0 संदीप फौजदार /मकान नं0-अम्बेनगर बिहार कालोनी, साहबगंज आगरा	ओ0बी0सी0	आगरा	सामु0 स्वा0 केन्द्र करहल मैनपुरी
18	20	287/504301 67484	डा0 स्वाती वर्मा/ए-1559, सेक्टर-1, एल0डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड लखनऊ	अनु0जाति	लखनऊ	संयुक्त चिकित्सालय, फर्रूखाबाद
19	21	92/50430110 307	डा0 भीमेन्दु गौतम/14प्रतापनगर निकट दयाल इन्क्लेव सेक्टर-9 इंदिरानगर लखनऊ	अनु0जाति	गोरखपुर	सामु0 स्वा0 केन्द्र, हाटा कुशीनगर
20	22	317/504300 24125	डा0 सुरभि दोहरे/ए-22/ए, रेलवे कालोनी झांसी	अनु0जाति	झांसी	सामु0 स्वा0 केन्द्र, कोंच जालौन
21	23	176/5045010 1875	डा0 शाजिया इबरार/मकान नं0-98, जहांगीराबाद कालोनी, देशाई पोखरा मऊनाथ भंजन जनपद मऊ	ओ0बी0सी0	बलिया	सामु0 स्वा0 केन्द्र, लालगंज आजमगढ
22	24	202/504300 86505	डा0 अभिषेक सिंह/एच0आई0जी0-जी'642, आवास विकास कल्याणपुर कानपुर	अनु0जाति	कानपुर	जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद
23	25	45/5045005 2384	डा0 भोला नाथ वर्मा/ग्राम सराय बहेलिया, पोस्ट रामपुर गौरी थाना सदर कोतवाली प्रतापगढ	ओ0बी0सी0	प्रतापगढ	सामु0 स्वा0 केन्द्र, कादीपुर सुल्तानपुर
24	26	187/5045011 4189	डा0 स्वाती सिंह/सिंह भवन नियर पारकर कालेज मुरादाबाद	ओ0बी0सी0	मुरादाबाद	सामु0 स्वा0 केन्द्र, नवाबगंज बरेली।
25	27	246/504500 53912	डा0 गितिका वर्मा/12/586 इंदिरा नगर लखनऊ	ओ0बी0सी0	लखनऊ	सामु0 स्वा0 केन्द्र, मुहम्मदी लखीमपुर

						खीरी
26	28	103/50450141873	डा0 गरिमा विश्वकर्मा/सरोज चौराहा रूपापुर रोड प्रधान डाकघर प्रतापगढ	ओ0बी0सी0	प्रतापगढ	सामु0 स्वा0 केन्द्र, जमनिया गाजीपुर

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

उ0प्र0 दन्त सर्जन सेवा संवर्ग के अन्तर्गत दन्त शल्यका के पदों पर लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2016 में चयनित दन्त शल्यक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूपः-

----

समक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक--------------------शपथ पत्र डा0------------------------ पुत्र श्री/डा0-------------------------------------निवासी-------------------------- जनपद--------------------मैं डा0------------------------------ शपथकर्ता उपरोक्त निम्नलिखित बयान करता हूँः-

1. यह कि शपथकर्ता की नियुक्ति शासन के कार्यालय ज्ञान संख्या------------------------------ दिनांक ---------------द्वारा उ0प्र0 दन्त सर्जन सेवा संवर्ग के अन्तर्गत दन्त शल्यक के पद पर नियुक्त करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक---के अधीन तैनात किया गया है।
2. यह कि शपथकर्ता के विरूद्व कोई आपराधिक मामला अथवा अन्य कोई ऐसा मामला लम्बित अथवा विचाराधीन नहीं है, जो उसे उक्त पद पर योगदान करने अथवा शासकीय सेवा करने के लिए आयोग्य ठहराता हो।
3. यह कि शपथकर्ता के चरित्र एवं प्राग्वृत्त संगठन का सदस्य नहीं है।
4. यह कि शपथकर्ता के चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन में कोई अन्यथा तथ्य एवं प्रतिकूल तथ्य पाये जाने की दशा में मेरी नियुक्ति निरस्त कर विधि समस्त कार्यवाही की जाती है, तब प्रश्नगत नियुक्ति/तैनाती के सम्बन्ध में कोई अधिकार/दावा/क्षतिपूर्ति क्लेम नहीं करूँगा और उ0प्र0 शासन को अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये मेरी नियुक्ति निरस्त/समाप्त कर दें।

दिनांक----------

<u>सत्यापन</u>

मैं डा0-----------------शपथकर्ता ईश्वर की शपथ लेकर/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि उक्त शपथ-पत्र के प्रस्तर-1 से 4 के तथ्य मेरे निजी ज्ञान में सच व सही है, कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

दिनांक---------------

(शपथकर्ता)

चरित्र प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि डा0------------------------पुत्र श्री---------------------------- निवासी-- को विगत--------------------वर्षो/माह में व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मेरे संज्ञान में ऐसे कोई तथ्य नहीं हैं, जो इनके प्रतिकूल हो।

डा0------------------------------मेरे निकट सम्बन्धी नहीं है,उनके उत्कृष्ट चरित्र एवं प्राग्वृत्त के अनुसार उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।

हस्ताक्षर-------------------------

निवासी--------------------------